इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेशा राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193]

भोपाल, सोमवार, दिनांक ८ जुलाई २०२४-आषाढ़ १७, शक १९४६

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

PHME-0109-2024-सत्रह-मेडि-1

भोपाल, दिनांक ८ जुलाई 2024

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, – (1) सम्पूर्ण नियमों में, शब्द ''लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण'' जहाँ कहीं भी आए हों, के स्थान पर, शब्द ''लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा'' स्थापित किए जाएं। (2) नियम 11 में, उप--नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप--नियम जोड़े जाए, अर्थात् :--

"(7) इन नियमों की अनुसूची—दो में उल्लेखित विभाग के सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50 प्रतिशत तक के पद (दोनो में से जो कम हो), संविदा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। इन निर्देशों के अधीन आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेने के पश्चात या नियुक्ति प्राप्त कर लेने (ज्वाईनिंग) के उपरांत उन्हें पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी।

(8) संविदा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने लिये निम्नलिखित संविदा सेवक पात्र होंगे :--

- (एक) आवेदक विभाग में नियमित भर्ती के रिक्त पद के समकक्ष संविदा पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की अविध के लिए संविदा आधार पर नियुक्त रहा हो। संविदा पद से नियमित पद की समकक्षता का निर्धारण मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपन्न दिनांक 22 जुलाई, 2023 के अनुसार किया जाएगा। 05 वर्ष की यह अविध रिक्त पद के विरूद्ध आवेदन करने की दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। उसे इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा और यह प्रमाण—पत्र यथास्थिति जिला अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा:
- (दो) वह इन नियमों के अधीन नियमित पदों के लिये अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य सुसंगत अनुभव पूर्ण करता हो;
- (तीन) यदि किसी संविदा अधिकारी ने एक ही संविदा पद पर कार्य न करते हुए विभिन्न संविदा पदों पर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अविध की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के नियमित पद पर नियुक्ति के लिए मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 22 जुलाई, 2023 के अनुसार नियमित पद के समकक्षता निर्धारण के पश्चात् जो 05 वर्ष की अविध में निम्नतम श्रेणी का रहा हो, आवेदन कर सकेगा;
- (चार) यदि किसी संविदा अधिकारी को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना, सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी;

- (पॉच) किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्त अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा, जो नियमित पद हेतु समकक्षता एवं अर्हता रखता हो ;
- (छ) नियमित नियुक्ति होने की स्थिति में, संविदा अधिकारी को पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा;
- (सात) संविदा अधिकारी के लिए आरक्षित किए गए नियमित पदों पर भर्ती की पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा, इस हेतु नियुक्तिकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कटऑफ अंक निर्धारण किया जा सकेगा;
- (आठ) संविदा अधिकारी एक अथवा एक से अधिक प्रकार के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में, संविदा पद के जिस समकक्ष नियमित पद पर वह नियुक्ति हेतु आवेदन करता है, उसके बराबर या उच्चतर संविदा पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा, उतने वर्ष की उसे विहित अधिकतम आयु—सीमा में छूट की पात्रता होगी। आयु संबंधी समस्त छूट सम्मिलित करते हुए, संविदा अधिकारी की अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (नौ) संविदा अधिकारियों के लिए समकक्ष नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षित वे पद उस स्थिति में अन्य उम्मीदवारों से भरे जाएंगे, जिन पदों को भरे जाने के लिए विहित पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के पालन उपरांत पर्याप्त संख्या में संविदा अधिकारी अंतिम रूप से चयनित अथवा नहीं हो पाते। रिक्त रहे पद कैरी फारवर्ड नहीं किए जाएंगे जो संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आरक्षित है;
- (दस) नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।"।
- (3) अनुसूची—एक में, समूह ''क'' चिकित्सा, अनुक्रमांक 5 तथा 7 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित कि जाएं, अर्थात् :-

अनु. क्रं.	सेवा में सम्मिलित पद के नाम	पदों की संख्या	वर्गीक रण	वेतनमान	अभ्युक्तिया
(1)	(2) उप संचालक के समकक्ष पद — उप संचालक (44) / उप संचालक (दंत स्वास्थ्य) (08) / प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी (313) / अस्पताल अधीक्षक (6)	(3)	(4) प्रथम श्रेणी	(5) लेवल — 13 (67300—206900)	(६) (एक) सचालनालय में 20 पद, प्रत्येक संभागीय कार्यालय में 03 पद, कुल 21 पद तथा जबलपुर, इन्दौर व ग्वालियर संभागीय कार्यालयों में न्यायालयीन कार्यो हेतु एक अतिरिक्त पद (उपसंचालक के कुल 44 पद). (दो) संचालनालय में 01 पद, तथा प्रत्येक संभागीय कार्यालय में 01 पद, (उप संचालक (दंत स्वास्थ्य) के कुल 08 पद)
7	विशेषज्ञ (4067)				
	(क) निश्चेतना विशेषज्ञ	467	प्रथम श्रेणी	लेवल — 13 (67300—206900)	(1) विभागीय जॉच और न्यायालयीन प्रकरण लंबित न

	T		कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान	होने पर और छानबीन समिति
(ख) ई.एन.टी. विशेषज्ञ	96		कानच्छ श्रणा वतनमान (१०० प्रतिशत) लेवल – १४	 हान पर आर छानबान सामात चयन समिति द्वारा अनुसंशा पर, कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान,
(ग) मेडिकल विशेषज्ञ	724		(79900—211700) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में	श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात, अभ्यर्थी क्रमशः वरिष्ठ श्रेणी
(घ) स्त्री रोग विशेषज्ञ	708	प्रथम श्रेणी	06 वर्ष सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात 100 प्रतिशत)	वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के लिए पात्र होंगे किन्तु वरिष्ठ
(ड़) नेत्र रोग विशेषज्ञ	155		लेवल — 15 (123100215900) प्रवर श्रेणी वेतनमान (वरिष्ठ श्रेणी	श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में उनके कर्तव्यों में
(च) अस्थि रोग विशेषज्ञ	241		वेतनमान में 06 वर्ष सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात 100 प्रतिशत)	कोई परिवर्तन नहीं होगा एवं वे आपात कर्तव्यों का निर्वहन भी करते रहेंगे।
(छ) शिशु रोग विशेषज्ञ	624	प्रथम श्रेणी	लेवल — 16 (129700—214300)	(2) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी के स्वीकृत पदों में क्षेत्रीय संवालक के पद भी सम्मिलित हैं। (3) विभागीय जॉच तथा
(ज) पैथोलॉजिस्ट	147		(129700—214300) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (प्रवर श्रेणी वेतनमान में 06 वर्ष सेवा पूर्ण कर लेने के	(3) विभागीय जीव तथा न्यायालयीन प्रकरण लंबित न होने और छानबीन समिति/चयन समिति द्वारा
(झ) रेडियोलॉजिस्ट	109		पश्चात ०५ प्रतिशत)	अनुसंशा पर वेतनमान/ घार स्तरीय समयमान वेतनमान स्वीकृत है पीजी चिकित्सक जो
(ञ) सर्जरी विशेषज्ञ	730	प्रथम		प्राप्त करने वाले विशेषज्ञ के पद के लिए व विशेषज्ञ के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर
(ट) क्षय रोग विशेषज्ञ	61	श्रेणी		श्रेणी वेतनमान एवं वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु पात्र होंगे। (4) चार स्तरीय वेतनमान
(ठ) मानसिक रोग विशेषज्ञ	4			अंतर्गत, कनिष्ट श्रेणी
(ड) चर्म रोग विशेषज्ञ	1			वेतनमान, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान एवं वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृति उपरांत, विशेषज्ञ निम्नानुसार पदनाम से संबोधित किये जावेगे : (क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान– विशेषज्ञ (ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान वरिष्ठ विशेषज्ञ (स) प्रवर श्रेणी वेतनमान – सलाहकार विशेषज्ञ (द) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान – मुख्य सलाहकार विशेषज्ञ

(4) अनुसूची—दो, समूह ''क'' चिकित्सा में, अनुक्रमांक 5 तथा 7 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

क) शीर्षक "वर्गीकरण, वेतनमान, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या " के स्थान पर, निम्नालिखित शीर्षक

" भर्ती का तरीका स्थापित किया जाए।

अनु. क्रं.	पद का नाम	पद का नाम सेवा का नाम र		कॉलम (4) में दर्शाये गये पदों का प्रतिशत जो सीधी भर्ती / पदोन्नति/चयन द्वारा भरे जायेगे			अभ्युक्ति
			कुल संख्या	सीधी भरती द्वारा (नियम— 6(1)(क) देखिये)	पदोन्नति द्वारा {नियम— 6(1)(ख) देखिये}	चयन द्वारा {नियम— 6(1)(ग) देखिये}	म— (ग)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	उप संचालक के समकक्ष पद - उप संचालक (44) / उप संचालक दंत स्वास्थ्य (8 पद) / प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी (313 पद) / अस्पताल अधीक्षक (6 पद)	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवायें — प्रथम श्रेणी	371			100 %	_
7	विशेषज्ञ (4067)						
	(क) निश्चेतना विशेषज्ञ	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवायें – प्रथम श्रेणी	467	25 %	=	75 %	-
25-250	(ख) ई.एन.टी. विशेषज्ञ	तदैव	96	25 %	-	75 %	
	(ग) मेडिकल विशेषज्ञ	तदैव	724	25 %		75 %	
	(घ) स्त्री रोग विशेषज्ञ	तदैव	708	25 %	-	75 %	
	(ङ) नेत्र रोग विशेषज्ञ	तदैव	155	25 %		75 %	
	(च) अस्थि रोग विशेषज्ञ	तदैव	241	25 %	=	75 %	
	(छ) शिशु रोग विशेषज्ञ	तदैव	624	25 %		75 %	
	(ज) पैथोलॉजिस्ट	तदैव	147	25 %		75 %	
	(झ) रेडियोलॉजिस्ट	तदैव -	109	25 %	-	75 %	
	(ञ) सर्जरी विशेषज्ञ	तदैव	730	25 %		75 %	12
	(ट) क्षय रोग विशेषज्ञ	तदैव	61	25 %		75 %	
	(ठ) मानसिक रोग विशेषज्ञ	तदैव	4	25 %	-	75 %	
	(ड) चर्म रोग विशेषज्ञ	तदैव	1	-		100 %	

⁽ग) अनुसूची—दो, " समूह 'क' चिकित्सा " अंत में निम्नलिखित टिप्पण जोडी जाएं, अर्थात् :--

''टिप्पण. — भविष्य में चर्मरोग विशेषज्ञ के नवीन अतिरिक्त पद स्वीकृत होने की दशा में 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा 75 प्रतिशत चयन द्वारा भरे जाएंगे।''।

(5) अनुसूची—तीन, समूह ''क'' चिकित्सा में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

अनु. क्रं.	पदनाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएँ	अम्युक्तिया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	विशेषज्ञ				(0)
	(क) निश्चेतना विशेषज्ञ	21 वर्ष	40 वर्ष	(1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा	
	(ख) ई.एन.टी. विशेषज्ञ			मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में	
	(ग) मेडिकल विशेषज्ञ			रनातकोत्तर डिप्लोमा / सी०पी०एस०	
	(घ) स्त्री रोग विशेषज्ञ			डिप्लोमा अथवा समतुल्य अर्हता	
	(ङ) नेत्र रोग विशेषज्ञ			अथवा	
	(च) अस्थि रोग विशेषज्ञ			भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता	
	(छ) शिशु रोग विशेषज्ञ			प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर	
	(ज) पैथोलॉजिस्ट			उपाधि	
	(झ) रेडियोलॉजिस्ट			अथवा	
	(ञ) सर्जरी विशेषज्ञ			भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता	
	(ट) क्षय रोग विशेषज्ञ			प्राप्त संबंधित विषय में सुपर स्पेशलिएटी	
	(ठ) मानसिक रोग विशेषज्ञ			डिग्री / डिप्लोमा	
	(ड) चर्म रोग विशेषज्ञ			(2) मध्यप्रदेश चिकित्सा परिषद में पंजीकरण अनिवार्य।	

(6) अनुसूची-चार (क), समूह 'क' चिकित्सा के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित किए जाएं, अर्थात् :--

अनुसूची—चार (क) (नियम 14 देखिए) चयन के लिये सेवा अनुभव तथा विभागीय चयन समिति के सदस्य समूह 'क' चिकित्सा

अनु. क्रं.	पद का नाम, जिससे चयन पद का नाम, जिस पर किया जाना है चयन किया जाना है		पद जिससे कि चयन किया जाना है, की अनिवार्य अर्हताए यदि कोई हो, तथा अन्य अनुभव	चयन समिति के सदस्य		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1	अपर संचालक (संचालनालय)/क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं/संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद/अपर संचालक, राज्य एड्स कन्द्रोल सोसाईटी/संचालक, राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा एवं संचार ब्यूरो	संचालक, (संचालनालय)/संचालक, राज्य संस्थान स्वारथ्य प्रबंधन और संचार ग्वालियर/प्रमुख, क्षेत्रीय लोक स्वारथ्य एवं चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	03 वर्ष नोट :- चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता	 मुख्य सचिव, - अध्यक्ष वरिष्ठ अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव 		

			T	
		अस्पताल से चयन के पश्चात् अनुक्रमांक 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा भरी जाएगी।	ži.	 अतिरिक्त सचिव / उप सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग – सदस्य
2	वरिष्ट संयुक्त संचालक / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक	अपर संचालक, (संचालक, (संचालनालय) / क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें / संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद् / अतिरिक्त संचालक, राज्य एड्स प्रकोष्ठ / संचालक, राज्य एड्स प्रकोष्ठ / संचालक, राज्य एड्स प्रकोष्ठ / संचालक, राज्य स्वास्थ्य सूचना, शिक्षा एवं संचार ब्यूरो, नोट:— कुल स्वीकृत 13 पदों में से 03 पदों पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक पर पदस्थ व्यक्तियों से भरे जावेंगे।		1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. आयुक्त, स्वास्थ्य - सदस्य 3. संचालक (राजपत्रित) - सदस्य 4. अपर संचालक (वित्त) / वित्तीय सलाहकार, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा - सदस्य 5. अपर संचालक (प्रशासन/राजपत्रित) / वरिष्ठ संयुक्त संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग - सदस्य सचिव 6. अध्यक्ष द्वारा गामित अनुसूचित जाति / जनजाति का सदस्य सदस्य
3	(1) संयुक्त संचालक (दंत स्वास्थ्य) / अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय / संचालक, क्षय रोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल / जिला स्वास्थ्य अधिकारी / जिला लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अधिकारी / जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी / जिला टीकाकरण अधिकारी / जिला टीकाकरण अधिकारी (2) विशेषज्ञ – (क) निश्चेतना विशेषज्ञ, (ख) ई.एन.टी. विशेषज्ञ, (प) मेडिकल विशेषज्ञ, (ध) स्त्री रोग विशेषज्ञ,	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नोट – पद विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ व्यक्तियों के चयन से, 25 प्रतिशत शेष 75 प्रतिशत पद अनुक्रमांक 3 के कॉलम (2) में क्रमांक	(2) विशेषज्ञ के लिए जिन्होंने ग्रेड—पे 7600 में 06 वर्ष की सेवा कर ली है। (3) चिकित्सा अधिकारी के पास निम्नलिखित होना चाहिए —	तदेव

(व) अप्थि तोग विशेषज्ञ, (छ) शिशु रोग विशेषज्ञ, (छ) शिशु रोग विशेषज्ञ, (छ) पेथोलॉजिरट, (३) एंडियोलॉजिरट, (३) एंडियोलॉजिएट, (३) एंडियोलंजिएट, (३) एंडियोलॉजिएट, (३) एंडियोलंजिएट, (३) एंडियलंजिल एंडियालेजिएट, (३) एंडियालंजिएट, (३) एंडियालंजिंडियलंजिंडियलंजिंडियलंजिंडियलंजिंडियलंजिंडियलंजिंडियलंजिंडियलंजिंडियलंजिंडियलंजिंडियलंजिंडियलंजिंडियलंजिंडियलंजिंडियलंजिंडियलंडियलंजिंडियलंडियलंडियलंडियलंडियलंडियलंडियलंडिय				Tr. C	
(छ) रिशु रोग विशेषज्ञ, (ज) पैथोलीजिस्ट, (अ) रेडियोलीजिस्ट, (अ) सर्जरी विशेषज्ञ, (ट) क्षय रोग विशेषज्ञ, (ट) क्षय रोग विशेषज्ञ, (उ) मानसिक रोग विशेषज्ञ (उ) वर्म रोग विशेषज्ञ (अ) वर्म विकित्सा अधिकारी 4 उप संचालक, (दत स्वास्थ्य) 5 क्षय रोग विशेषज्ञ 5 क्षय रोग विशेषज्ञ 5 क्षय रोग विशेषज्ञ 6 उप संचालक / प्रमुख खण्ड विकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक 7 अस्पताल अधीक्षक 6 उप संचालक / प्रमुख खण्ड विकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक (जा स्वास्थ्य पूर्व महामारी नियंत्रण अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक 7 उप संचालक / प्रमुख खण्ड विकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक (व) उप संचालक एवं प्रमुख खण्ड विकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक (व) उप संचालक एवं प्रमुख खण्ड विकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक (व) उप संचालक एवं प्रमुख खण्ड विकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक (व) उप संचालक एवं प्रमुख खण्ड विकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक (व) उप संचालक एवं प्रमुख खण्ड विकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक (व) उप संचालक एवं प्रमुख खण्ड विकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक (व) उप संचालक एवं प्रमुख खण्ड विकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक (व) उप संचालक एवं प्रमुख खण्ड विकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक (व) उप संचालक एवं प्रमुख खण्ड विकित्सा अधिकारी / अस्पताल महिस्तिन में रनातकीत्तर डिग्री अनिवार्य। नोट:— चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता (व) उप संचालक एवं प्रमुख खण्ड विकित्सा अधिकारी हेतु प्रिवेटिव एवं सोशल मेहिसन में रनातकीत्तर डिग्री नाय्यता सह वरिष्ठता (व) उप संचालक एवं प्रमुख सण्ड विकित्सा अधिकारी संस्था से मान्यता प्राप्त सिक्क हैल्थ विषय में अथवा प्रोवेन्दीव एवं सोशल मेहिसन में स्वेशल मेहिसन में सिक्क हैल्थ विषय में अथवा	1	(ङ) नेत्र रोग विशेषज्ञ,		(ग) उप संचालक / प्रमुख	
(ज) पैथोलॉजिस्ट, (अ) रेडियोलॉजिस्ट, (अ) रेडियोलॉजिस्ट, (अ) राजरीत विशेषज्ञ, (ट) क्षय रोग विशेषज्ञ, (उ) मानरिक रोग विशेषज्ञ (अ) चर्म रोग विशेषज्ञ (अ) चिकित्सा अधिकारी 4 उप संचालक (दंत स्वास्थ्य) 5 क्षय रोग प्रशान अधिकारी (जिला स्वास्थ्य) 6 उप संचालक / प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक (जिला स्वास्थ्य) 7 उप संचालक / प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक (जिला टीकाकरण स्वास्थ्य) 8 जिला स्वास्थ्य अधिकारी / जिला परिवार तोक रावस्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक (वास्थ्य) 7 उप संचालक / प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक (जिला टीकाकरण स्वास्थ्य) 8 जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक (वास्थ्य) 9 उप संचालक (प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक (वास्थ्य) 10 उव व्यं च्यानक एवं प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक (वास्थ्य) 10 उव व्यं च्यानक एवं प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी (वास्थ्य) 10 उव व्यं प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी (वास्थ्य) 11 उव वर्ष स्वास्य एवं महामारी नियंत्रपा सह वरिख्ता विवेत्या अधिकारी (वास्थ्य) 12 उप संचालक एवं प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी (वास्थ्य) 13 उव व्यं प्रमुख स्वण्ड चिकित्सा अधिकारी (वास्थ्य) 14 उव वर्ष स्वण्ड चिकित्सा अधिकारी (वास्थ्य) 15 उव व्यं प्रमुख स्वण्ड चिकित्सा अधिकारी (वास्थ्य) 16 वर्ष (वास्थ्य) 17 उव वर्ष स्वण्ड चिकित्सा अधिकारी (वास्थ्य) 18 वर्ष स्वण्ड चिकित्सा अधिकारी (वास्थ्य) 19 उव वर्ष स्वण्ड चिकित्सा अधिकारी (वास्थ्य) 10 उव वर्ष स्वण संचरक्य स्वण्ड चिक्तसा अधिकारी (वास्थ्य) 19 उव वर्ष स्वण संचरक्य स्वण्ड चिक्तसा अधिकारी (वास्थ्य) 10 उव वर्ष संचर चर्ण संचरक्य विक्रसा अधिकारी विक्रसा संचरक्य विक्रसा संचरक्य विक्रसा संचरक्य संवरक्य संचरक्य संचरक्य संचरक्य संचरक्य संवरक्य स					
(झ) रेडियोलॉजिरट, (उ) सर्जरेग विशेषज्ञ, (ट) क्ष्म येग विशेषज्ञ, (ठ) मानसिक रोग विशेषज्ञ (उ) मानसिक रोग विशेषज्ञ (उ) चर्क पंग विशेषज्ञ (उ) चिकित्सा अधिकारी 4 उप संचालक, (दंत स्वारथ्य) 5 क्षम्य रोग विशेषज्ञ (अ) चिकित्सा अधिकारी 6 जप संचालक / प्रमुख चण्ड चिकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक 7 जप संचालक / प्रमुख चण्ड चिकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक 7 उप संचालक / प्रमुख चण्ड चिकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक 7 उप संचालक / प्रमुख चण्ड चिकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक 8 वंत शत्य चिकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक 7 उप संचालक / प्रमुख चण्ड चिकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक 8 वंत शत्य चिकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक 6 वर्ष संचालक (प्रमुख चण्ड चिकित्सा सह वरिष्ठता (विशेषज्ञ) (विक्रिक्षा अधिकारी / जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक (विक्राक्ष) (विक्रक्ष) (वि	1			अधिकारी अथवा	
(झ) रेडियोलॉजिस्ट, (ज) गर्जरी विशेषज्ञ, (ट) क्षय रोग विशेषज्ञ, (ड) वर्म रोग विशेषज्ञ (ड) वर्म रोग विशेषज्ञ (ड) विकित्सा अधिकारी 4 उप संचालक, (दंत स्वास्थ्य) 5 क्षय रोग विशेषज्ञ अधीक्षक, क्षय रोग विशेषज्ञ विकित्सालय/ संचालक, विशेषज्ञ योग्यता सह वरिष्ठता प्रशिक्षण केन्द्र, गोपाल जिला परिवार लोक स्वास्थ्य अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक अधिकारी / जिला परिवार लोक स्वास्थ्य प्रयं चिकित्सा शिक्षा अधिकारी / जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अधिकारी / जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अधिकारी / जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी / जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक / शिखु खण्ड चिकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक / शिखु सोग विशेषज्ञ विज्ञ टीकाकरण अधिकारी (३) उप संचालक एवं प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी हेतु क्रिवेटिव एवं सोशल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य। नोट:— चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता शिक्षा अधिकारी हेतु क्रिवेटिव एवं सोशल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य। नोट:— चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता अधिकारी हेतु क्रिवेटिव एवं सोशल सेखिन सेखारथ्य) 8 दंत शल्य चिकित्सक उपमान क्ष्य सेखान सेखारथ्य से पाल्य सेखारथा से पाल्य हेत्थ विशेषज्ञ सेखार से पाल्य हेत्थ विशेषण सेखारथा से पाल्य हेत्थ विशेषण सेखारथा से पाल्य हेत्थ विशेषण सेखारथा से पाल्य हेत्थ विशेषण सेखार से पाल्य सेखारथा से पाल्य हेत्थ सेखार सेखारथा से पाल्य हेत्थ सेखारथा से पाल्य हेत्थ विशेषण सेखारथा		(ज) पैथोलॉजिस्ट,		अनुक्रमांक ०३ के	
(ज) सर्जरी विशेषज्ञ, (ट) क्षय रोग विशेषज्ञ, (ट) क्षय रोग विशेषज्ञ, (ट) क्षय रोग विशेषज्ञ (ड) वर्म रोग विशेषज्ञ (ड) वर्म रोग विशेषज्ञ (ड) वर्म रोग विशेषज्ञ (ड) विकित्सा अधिकारी 4 उप संचालक, (दंत स्वास्थ्य) 5 क्षय रोग विशेषज्ञ अधीक्षक, क्षय रोग विशेषज्ञ अधीक्षक, क्षय रोग विशेषज्ञ अधीक्षक, क्षय रोग विशेषज्ञ अधीक्षक, क्षय रोग विशेषज्ञ अधीक्षक, क्षय रोग विशेषज्ञ अधीक्षक, क्षय रोग विशेषज्ञ विकित्सालय/ संचालक, व्याया योग्यता सह वरिष्ठता विकित्सालय/ संचालक ना तिवैव विकित्सा अधिकारी / जिला स्वास्थ्य अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक 7 उप संचालक / प्रमुख खण्ड विकित्सा अधिकारी / जिला स्वास्थ्य एवं मिकत्सा योग्यता सह वरिष्ठता शिक्षा अधिकारी / जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक / जिला टीकाकरण अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक / श्रिशुरोग विशेषज्ञ 8 दंत शल्य विकित्सक उप संचालक, (दंत स्वास्थ्य) 8 दंत शल्य विकित्सक उप संचालक, (दंत स्वास्थ्य) (1) 06 वर्ष (2) उप संचालक एवं प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी अभिवार्य । नोट - चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता अधिकारी (व) उप संचालक एवं प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी अभिवार्य । नोट - चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता अधिकारी (2) उप संचालक एवं प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी अभिवार्य । नोट - चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता अधिकारी (2) उप संचालक एवं प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी अभिवार्य । नोट - चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता अधिकारी (2) उप संचालक एवं प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी अभिवार्य । नोट - चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता अधिकारी हो क्रियेत संचालक एवं प्रमुख संचालक मेडिसिन में स्वातकोत्य संच्या से सान्यता प्राप्त विशेषज्ञ से अधिका मेडिसिन में सान्यता प्राप्त विशेषज्ञ संच्या से सान्यता प्राप्त विशेषज्ञ संच्या से सान्यता प्राप्त विशेषज्ञ से सान्यता प्राप्त से संच्या से सान्यता प्राप्त विशेषज्ञ से सान्यता प्राप्त से सान्यता प्राप्त विशेषज्ञ से सान्यता से सान्यता प्राप्त विशेषज्ञ से सान्यता से सान्य		(झ) रेडियोलॉजिस्ट,			
(ट) क्षय रोग विशेषज्ञ (उ) मानस्कि रोग विशेषज्ञ (इ) वर्म रोग विशेषज्ञ (इ) विकित्सा अधिकारी 4 उप संचालक (दंत स्वास्थ्य) 5 क्षय रोग विशेषज्ञ (इ) स्वास्थ्य (इ) स्वास्य	1				
(हं) मानसिक रोग विशेषज्ञ (हं) चर्म रोग किरुसा अधिकारी 4 उप संचालक, (दंत स्वास्थ्य) 5 क्षय रोग विशेषज्ञ अधीक्षक, क्षय रोग विशेषज्ञ (हं) स्वय रोग विशेषज्ञ अधीक्षक, क्षय रोग विशेषज्ञ (हं) स्वय रोग प्रदर्शन तथा प्राथाल का आधार योग्यता सह वरिष्ठता (हं) स्वय रोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल 6 उप संचालक / प्रमुख जिला स्वास्थ्य अधिकारी / जिला परिवार लोक स्वास्थ्य एवं मिकित्सा रिक्षा अधिकारी / जिला परिवार लोक स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी / जिला दोकाकरण (हं) उप संचालक / प्रमुख ज्या जिला दोकाकरण (हं) उप संचालक (हंत स्वास्थ्य) 7 उप संचालक / प्रमुख ज्या जिला दोकाकरण (हं) उप संचालक एवं प्रस्ताल अधीक्षक / शिष्ठारी मिकित्सा अधिकारी हेतु प्रिवेटिव एवं सोशल मिहिसन में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य । नोट :— चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता 8 दंत शल्य चिकित्सक उप संचालक, (दंत स्वास्थ्य) (1) 06 वर्ष (2) उप संचालक एवं प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी हेतु प्रिवेटिव एवं सोशल मिहिसन में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य । नोट :— चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता (1) 06 वर्ष (2) सासकीय संस्था से मान्यता प्राप्त विवविद्यालय से पहिलक हेल्थ विषय में अथवा प्रोवेटिव एवं सोशल मेहिसन में अथवा प्रोवेटिव एवं सोशल मेहिसन में अधिवारी । नोट स्वविव्यालय से पहिलक हेल्थ विषय में अधिवारी । नोट संच से अधिवारी । नोट संच से सोहल मेहिसन में सेहिसन मेहिसन में सेहिसन मेहिसन में सेहिसन में सेहिसन में सेहिसन में सेहिसन में सेहिसन में स	1				
(ह) वर्म रोग विशेषज्ञ (व) देत चिकित्सा अधिकारी 4 उप संचालक, (दंत स्वास्थ्य) 5 क्षय रोग विशेषज्ञ अधीक्षक, क्षय रोग विशेषज्ञ चिकित्सालय/ संचालक, व्यंत ते तदेव स्वास्थ्य) 5 क्षय रोग विशेषज्ञ अधीक्षक, क्षय रोग विशेषज्ञ अधीक्षक, क्षय रोग विशेषज्ञ चिकित्सालय/ संचालक, क्षय रोग तदेव चिकित्सालय/ संचालक, क्षय योग्यता सह वरिष्ठता प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल 6 उप संचालक / प्रमुख जिला स्वास्थ्य अधिकारी / जिला प्रशिक्षा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अधिकारी / जिला प्रशिक्षा सहामारी नियंत्रण अधिकारी / जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी / जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी / जिला टीकाकरण अधिकारी / शिक्षा अधिकारी होतु प्रिवेदिव एवं सोशल मेडिसिन में स्नाव्यात सह वरिष्ठता 8 दंत शल्य चिकित्सक उप संचालक, (दंत स्वास्थ्य) (1) 06 वर्ष (2) उप संचालक एवं प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी होतु प्रिवेदिव एवं सोशल मेडिसिन में स्नाव्यात सह वरिष्ठता अभिवार्य। नोट :- चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता (1) 06 वर्ष (2) उप संचालक एवं प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी होतु प्रिवेदिव एवं सोशल मेडिसिन में अथवा प्रीवेदिव एवं सोशल मेडिसिन में अथवा प्रीवेदिव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री/				11	
(दं) दंत चिकित्सा अधिकारी 4 उप संचालक, (दंत स्वास्थ्य) 5 क्षय रोग विशेषज्ञ अधीक्षक, क्षय रोग विशेषज्ञ अधीक्षक, क्षय रोग विकित्सालय/ संचालक, क्षय रोग विकित्सालय/ संचालक, क्षय रोग प्रविकित्सालय/ अधिकारी / जिला स्वास्थ्य अधिकारी / जिला स्वास्थ्य अधिकारी / जिला स्वास्थ्य पर्व विकित्सा शिक्षा अधिकारी / जिला स्वास्थ्य एवं विकित्सा शिक्षा अधिकारी / जिला स्वास्थ्य एवं विकित्सा शिक्षा अधिकारी / जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी / जिला टीकाकरण अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक / शिशुरोग विशेषज्ञ 7 उप संचालक / प्रमुख खण्ड विकित्सा अधिकारी / जिला टीकाकरण अधिकारी होतु प्रिवेटिव एवं सोशल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य नोट :— चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता तदैव 8 दंत शल्य विकित्सक उप संचालक, (दंत स्वास्थ्य) (2) शासकीय संस्था से मान्यता प्राप्त विवविद्यालय से पहिलक हेल्थ विषय में अथवा प्रीवेटिव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री/				काय अनुभव।	
3) चिकित्सा अधिकारी प्रांचालक, (दंत स्वास्थ्य) संयुक्त संचालक, (दंत त्वास्थ्य) संयुक्त संचालक, (दंत त्वास्थ्य) संयुक्त संचालक, (दंत त्वास्थ्य) तादैव तादैव तादैव तादेव		1 1		i s	
4 उप संचालक, (दंत स्वास्थ्य) संयुक्त संचालक, (दंत स्वास्थ्य) योग्यता सह वरिष्ठता 5 क्षय रोग विशेषज्ञ अधीक्षक, क्षय रोग विशेषज्ञ तदैव विकत्सालय / संचालक का आधार योग्यता सह वरिष्ठता विदेव विकत्सालय / संचालक का आधार योग्यता सह वरिष्ठता प्रिक्षण केन्द्र, भोपाल विकास विकत्सालय एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक विकित्सा शिक्षा अधिकारी / जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक अधिकारी अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक / शिशुरोग विशेषज्ञ विकित्सा अधिकारी / शिक्षा रोष्ठारी / अस्पताल अधीक्षक / शिशुरोग विशेषज्ञ विकित्सा अधिकारी होतु प्रवेदिव एवं सोशल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य शोयता सह वरिष्ठता विदेव विकत्सा अधिकारी होतु प्रवेदिव एवं सोशल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य । नोट ≔ चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता विदेव विकत्सा अधिकारी होतु प्रवेदिव एवं सोशल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य । मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पब्तिक हेल्थ विषय से अथवा मिवेत्रीय एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री / सेटिय एवं सोशल मेडिसिन में अथवा मिवेत्रीय एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री / सेटिय एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री / सेटिय एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री / सेटिया सेटियाल सेटिय			1		
स्वास्थ्य नीट := चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता 06 वर्ष तदैव विकित्सालय संचालक प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी / जिला परिवार लोक स्वास्थ्य प्रिकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी अस्पताल अधीक्षक प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी जिला स्वास्थ्य प्रव चिकित्सा शिक्षा अधिकारी जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी जिला टीकाकरण प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी जिला टीकाकरण प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी जिला टीकाकरण प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी हेतु क्रिवेटिव एवं सोशल मेडिसिन में स्नातकोत्तर हिर्ग अनिवार्य नोट := चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता नोट := चयन का अधार योग्यता सह वरिष्ठता न					
विशेषज्ञ अधीक्षक, क्षय रोग विशेषज्ञ अधीक्षक, क्षय रोग प्रवर्शन तथा प्रिक्षण केन्द्र, भोपाल विकत्सालय / संचालक में होट :- चयन का आधार प्रोग्यता सह वरिष्ठता प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल विकत्सा अधिकारी / जिला परिवार लोक त्यास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अधिकारी / जिला परिवार लोक त्यास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अधिकारी / जिला त्यास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी / जिला त्यास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी / अस्पताल अधीकारी (2) उप संचालक एवं प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी हेतु प्रिवेदिव एवं सोशल मेहिसन में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य नोट :- चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता विवेद विकत्सा अधिकारी हेतु प्रिवेदिव एवं सोशल मेहिसन में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य नोट :- चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता विवेद विकत्सा अधिकारी से सान्यता प्राप्त सह वरिष्ठता नोट :- चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता नोट :- चयन का अधार योग्यता सह वरिष्ठता नोट :- चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता नोट :- चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता नोट :- चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता नोट :- चयन का अधार यो	4	उप संचालक, (दंत स्वास्थ्य)	संयुक्त संचालक, (दंत	06 वर्ष	तदैव
विशेषज्ञ अधीक्षक, क्षय रोग विशेषज्ञ विकित्सालय / संचालक, क्षय रोग विकित्सालय / संचालक, क्षय रोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भेपाल जिला स्वारस्थ्य अधिकारी / जिला परिवार लोक स्वारस्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अधिकारी / जिला स्वारस्थ एवं चिकित्सा शिक्षा अधिकारी / जिला स्वारस्थ एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक जिला टीकाकरण विकार हेतु प्रवेदिव एवं सोशल मेहिसन में स्नात्वाय । नीट :- चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता विवेद व विकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक / शिशुरोग विशेषज्ञ विकित्सा अधिकारी विवार विकार व विकित्सा अधिकारी विवार व विकित्सा अधिकारी हेतु प्रवेदिव एवं सोशल मेहिसन में स्नात्वाय । नीट :- चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता विवार व विकित्सा अधिकारी हेतु प्रवेदिव एवं सोशल मेहिसन में स्नात्वाय । नीट :- चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता विवार व विकित्सक हेल्थ विषय में अथवा प्रवित्य प्रवेदिव एवं सोशल मेहिसन में स्वार्थ व विकर्त व विवार प्रवेद व व व व व व व व व व व व व व व व व व	1		स्वारथ्य)	नोट :- चयन का आधार	
अधीक्षक, क्षय रोग विशेषज्ञ अधीक्षक, क्षय रोग विकित्सालय संचालक, विकित्सालय संचालक, विकित्सालय संचालक, विकित्सालय प्रोचिक केन्द्र, भोपाल जिला परिवार लोक तिट :- चयन का आधार योग्यता सह विरिष्ठता प्रतिवार विकित्सा अधिकारी जिला परिवार लोक त्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अधिकारी जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी जिला टीकाकरण अधिकारी अस्पताल अधीक्षक अधिकारी जिला टीकाकरण अधिकारी अस्पताल अधीक्षक अधिकारी जिला टीकाकरण जिला ट					
विकत्सालय / संचालक, स्वय रोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल जिला स्वारक्ष्य अधिकारी / जिला परिवार लोक स्वारक्ष्य एवं चिकित्सा रिक्षा अधिकारी / जिला परिवार लोक स्वारक्ष्य एवं चिकित्सा रिक्षा अधिकारी / जिला स्वारक्ष्य एवं चिकित्सा रिक्षा अधिकारी / जिला स्वारक्ष्य एवं चिकित्सा रिक्षा अधिकारी / जिला स्वारक्ष्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी / जिला टीकाकरण अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक / शिशुरोग विशेषज्ञ (वं क्षिक्र के स्वारक्ष्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी होतु प्रवेदिव एवं सोशल मेडिसिन में स्नावकीत्यर्थ हिंदी अनिवार्य नोट :— चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता तदैव विकित्सा अधिकारी हेतु अवेदिव एवं सोशल मेडिसिन में स्नावकीत्यर्थ हिंदी अनिवार्य नोट :— चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता विकित्सा विकित्सक उप संचालक, (दंत स्वारक्य) (1) 06 वर्ष (2) शासकीय संस्था से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ विषय में अथवा प्रीवेन्टीव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री/	5	क्षय रोग विशेषज्ञ	अधीक्षक क्षय रोग		तरैव
अस्पताल अधीक्षक प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी जिला परिवार लोक खास्थ्य पूर्व चिकित्सा अधिकारी जिला परिवार लोक खास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अधिकारी जिला प्रामुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी जिला प्रामुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी जिला चिक्कारी जिला प्रामुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी जिला टीकाकरण अधिकारी अस्पताल अधीक्षक शिशुरोग विशेषज्ञ अधिकारी विशेषज्ञ विकित्सा अधिकारी हेतु प्रवेटिव एवं सोशल मेडिसन में स्नातकोत्यर्थ नोट :— चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता विवेव विकित्सा अधिकारी हेतु प्रवेटिव एवं सोशल मेडिसन में स्नातकोत्यर्थ नोट :— चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता विवेव विकित्सा अधिकारी हेतु प्रवेटिव एवं सोशल मेडिसन में स्नातकोत्यर्थ नोट :— चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता विवेव विकित्सक हेल्थ विषय में अथवा प्रवित्व एवं सोशल मेडिसन में डिग्री					1147
प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल जिला स्वास्थ्य अधिकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी जिला परिवार लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अधिकारी जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अधिकारी जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी जिला टीकाकरण अधिकारी अस्पताल अधीक्षक शिशुरोग विशेषज्ञ शिशुरोग विशेषज्ञ शिशुरोग विशेषज्ञ शिशुरोग विशेषज्ञ अधिकारी सेतु प्रिवेटिव एवं सोशल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य नोट :— चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ विषय में अथवा प्रीवेन्टीव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री			क्षरा रोग पटर्शन तथा	गोरगता यह विष्टित	
विकास प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी जिला परिवार लोक नोट :- चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता विकित्सा शिक्षा अधिकारी जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा योग्यता सह वरिष्ठता विविक्त विविक्				पानिया सह परिन्या	
खण्ड चिकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक प्रिक्षा परिवार लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अधिकारी / जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी उप संचालक / प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी अस्पताल अधीक्षक / शिशुरोग विशेषज्ञ अधिकारी अधिकारी अधिकारी हेतु प्रिवेटिव एवं सोशल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य नोट:— चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता वर्ष शल्य चिकित्सक उप संचालक (दंत स्वास्थ्य) (1) 06 वर्ष तदैव (2) उप संचालक एवं प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी हेतु प्रिवेटिव एवं सोशल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य नोट:— चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता वर्ष शल्य चिकित्सक उप संचालक, (दंत स्वास्थ्य) (2) शासकीय संस्था से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ विषय में अथवा प्रीवेन्टीव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री /	6	चा संचारक / गणन			
अस्पताल अधीक्षक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा योग्यता सह विरिष्ठता योग्यता स्वाप्य से पिल्लक हेल्थ विषय में अथवा प्रीवेन्टीव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री			1		तदव
शिक्षा अधिकारी / जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी नियंत्रण अधिकारी (1) 06 वर्ष तदैव खण्ड चिकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक / शिशुरोग विशेषज्ञ (2) उप संचालक एवं प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी हेतु प्रिवेंटिव एवं सोशल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य। नोट:— चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता उप संचालक, (दंत स्वास्थ्य) (2) शासकीय संस्था से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ विषय में अथवा प्रीवेन्टीव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री/					i ii
प्यास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी 7		/ अस्पताल अधाक्षक		योग्यता सह वरिष्ठता	
नियंत्रण अधिकारी जिला टीकाकरण जिला टीकाकरण अधिकारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी हेतु प्रिवेंटिव एवं सोशल मेंडिसन में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य नोट :- चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता स्वास्थ्य) विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ विषय में अथवा प्रीवेन्टीव एवं सोशल मेंडिसेन में डिग्री		1	,		
उप संचालक / प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक / शिशुरोग विशेषज्ञ अधिकारी शिशुरोग विशेषज्ञ अधिकारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी हेतु प्रिवेंटिव एवं सोशल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य नोट :- चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता विशेषक्र उप संचालक, (दंत (1) 06 वर्ष तदैव स्वास्थ्य) संचालक से पहलक हेल्थ विषय में अथवा प्रीवेन्टीव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री /			स्वारथ्य एवं महामारी		
खण्ड चिकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक / शिशुरोग विशेषज्ञ 8 दंत शल्य चिकित्सक उप संचालक, (दंत स्वारभ्य) (2) उप संचालक एवं प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी हेतु प्रिवेंटिव एवं सोशल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य। नीट :— चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता (1) 06 वर्ष संचारभ्य) (2) शासकीय संस्था से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ विषय में अथवा प्रीवेन्टीव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री/			नियंत्रण अधिकारी		
/ अस्पताल अधीक्षक / शिशुरोग विशेषज्ञ प्रिवेटिव एवं सोशल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य। नोट :— चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ विषय में अथवा प्रीवेन्टीव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री अनिवार्य। नोट :— चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता (1) 06 वर्ष (2) शासकीय संस्था से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ विषय में अथवा प्रीवेन्टीव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री/	7		जिला टीकाकरण	(1) 06 वर्ष	तदैव
प्रमुख खण्ड चिकित्सा शिशुरोग विशेषज्ञ प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी हेतु प्रिवेंटिव एवं सोशल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य। नोट:— चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता वर्त शल्य चिकित्सक उप संचालक, (दंत स्वारथ्य) (1) 06 वर्ष नान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ विषय में अथवा प्रीवेन्टीव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री/		खण्ड चिकित्सा अधिकारी	अधिकारी	(2) उप संचालक एवं	
शिशुरोग विशेषज्ञ अधिकारी हेतु प्रिवेंटिव एवं सोशल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य। नोट:— चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठत। 8 दंत शल्य चिकित्सक उप संचालक, (दंत (1) 06 वर्ष त्वेव स्वास्थ्य) (2) शासकीय संस्था से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ विषय में अथवा प्रीवेन्टीव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री/		/ अस्पताल अधीक्षक /			
एवं सोशल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य। नोट : चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता 8 दंत शल्य चिकित्सक उप संचालक, (दंत (1) 06 वर्ष तदैव स्वास्थ्य) (2) शासकीय संस्था से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ विषय में अथवा प्रीवेन्टीव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री/					
स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य। नोट :- चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता उप संचालक, (दंत (1) 06 वर्ष तदैव स्वास्थ्य) (2) शासकीय संस्था से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ विषय में अथवा प्रीवेन्टीव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री/					
अनिवार्य । नोट :- चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठत। 8 दंत शल्य चिकित्सक उप संचालक, (दंत (1) 06 वर्ष तदैव स्वारथ्य) (2) शासकीय संस्था से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ विषय में अथवा प्रीवेन्टीव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री/					V (1
नोट :- चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता 8 दंत शल्य चिकित्सक उप संचालक, (दंत (1) 06 वर्ष तदैव स्वास्थ्य) (2) शासकीय संस्था से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ विषय में अथवा प्रीवेन्टीव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री/					
योग्यता सह वरिष्ठता 8 दंत शल्य चिकित्सक उप संचालक, (दंत (1) 06 वर्ष तदैव स्वास्थ्य) (2) शासकीय संस्था से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ विषय में अथवा प्रीवेन्टीव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री/					
8 दंत शल्य चिकित्सक उप संचालक, (दंत (1) 06 वर्ष तदैव स्वास्थ्य) (2) शासकीय संस्था से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ विषय में अथवा प्रीवेन्टीव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री/					
स्वास्थ्य) (2) शासकीय संस्था से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ विषय में अथवा प्रीवेन्टीव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री/					
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ विषय में अथवा प्रीवेन्टीव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री/	В	दत शल्य चिकत्सक			तदैव
विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ विषय में अथवा प्रीवेन्टीव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री/		(1)	स्वास्थ्य)	(2) शासकीय संस्था से	1
हेल्थ विषय में अथवा प्रीवेन्टीव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री/					
प्रीवेन्टीव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री/				विश्वविद्यालय से पब्लिक	
मेडिसिन में डिग्री/				हेल्थ विषय में अथवा	
मेडिसिन में डिग्री/				1	
			4	. '	
ਫ਼ਿਲੀਸ਼ਾ (ਫ਼ਿਸੀ ਜ਼ਗਰੰਜ	1			डिप्लोमा (डिग्री उपरांत	
03 वर्ष एवं डिप्लोमा	ĺ				
·					
उपरांत 05 वर्ष की सेवा),	1				
टीप:- चयन का आधार		1			
योग्यता सह वरिष्ठता		40			
9 चिकित्सा अधिकारी उप संचालक / प्रमुख (1) 06 वर्ष तदैव	9				तदैव
खण्ड चिकित्सा अधिकारी (2) शासकीय संस्था से		ľ	खण्ड चिकित्सा अधिकारी	(2) शासकीय संस्था से	
मान्यता प्राप्त					l'

			विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ विषय में अथवा प्रीवेन्टीव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री/ डिप्लोमा (डिग्री उपरांत 03 वर्ष एवं डिप्लोमा उपरांत 05 वर्ष की सेवा),	
			नोट — (क) चिकित्सा अधिकारी के लिए 5400 ग्रेड—पे में 06 वर्ष की सेवा अनिवार्य, (ख) चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता होगी,	
10	विशेषज्ञ (क) निश्चेतना विशेषज्ञ (ख) ई.एन.टी. विशेषज्ञ (ग) मेडिकल विशेषज्ञ (ध) स्त्री रोग विशेषज्ञ (ध) स्त्री रोग विशेषज्ञ (उ) नेत्र रोग विशेषज्ञ (घ) अस्थि रोग विशेषज्ञ (छ) शिशु रोग विशेषज्ञ (ज) पैथोलॉजिस्ट (ज) पैथोलॉजिस्ट (ज) सर्जरी विशेषज्ञ (ट) क्षय रोग विशेषज्ञ (ट) क्षय रोग विशेषज्ञ (उ) मानसिक रोग विशेषज्ञ (उ) चर्म रोग विशेषज्ञ (इ) चर्म रोग विशेषज्ञ (इ) दत चिकित्सा विशेषज्ञ	सिविल सर्जन सह मुख्य जिला अस्पताल अधीक्षक	विशेषज्ञ के रूपयें 7600 ग्रेड—पे में 06 वर्ष की सेवा नोट : चयन का आधार योग्यता सह वरिष्टता	तदेव
11	चिकित्सा अधिकारी	(क) निश्चेतना विशेषज्ञ (ख) ई.एन.टी. विशेषज्ञ (ग) मेडिकल विशेषज्ञ (घ) स्त्री रोग विशेषज्ञ (घ) स्त्री रोग विशेषज्ञ (उ) नेत्र रोग विशेषज्ञ (छ) शिशु रोग विशेषज्ञ (छ) शिशु रोग विशेषज्ञ (ज) पैथोलॉजिस्ट (झ) रेडियोलॉजिस्ट (झ) सर्जरी विशेषज्ञ (ट) क्षय रोग विशेषज्ञ (ट) मानसिक रोग विशेषज्ञ (ड) चर्म रोग विशेषज्ञ	ऐसे चिकित्सक जो स्नातकोत्तर डिग्री / स्नातकोत्तर डिग्री / स्नातकोत्तर डिग्री मा धारित करते हैं, व न्यूनतम् वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान प्राप्त कर चुके हैं अथवा ऐसे चिकित्सक जिन्होंने स्नातकोत्तर डिग्री उपरांत चिकित्सक के पद पर 02 वर्ष अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा उपरांत 03 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो, उन्नत वेतनमान पीठबीठ 3 (15600—39100) + 6600 के लिए पात्र होंगे तथा ग्रेड पे के लिए पात्र होंगर तथा ग्रेड	तदैव

			विशेषज्ञ संवर्ग में रिक्तता	
			अनुसार चयन हेतु पात्र	
			होंगे।	
		<u> </u>	नोट – चयन का आधार	
			योग्यता सह वरिष्ठता	
12	दंत शल्य चिकित्सक	दंत चिकित्सा विशेषज्ञ	ऐसे दंत शल्य चिकित्सक	तदैव
		311-4111436-10-321114114-1-34411414-1-344114	जो स्नातकोत्तर डिग्री	
			धारित करते हैं, व	
			न्यूनतम् वरिष्ठ श्रेणी	
		NI NI	वेतनमान प्राप्त कर चुके	
			है अथवा ऐसे दंत शल्य	
		N.	चिकित्सक जिन्होने	
			रनातकोत्तर डिग्री	
		ľ	उपरांत दंत चिकित्सक	
			के पद पर 02 वर्ष	
			नियमित सेवा उन्नत	
			वेतनमान पी०बी० 3	
			(15600- 39100) +	
		r	6600 में पूर्ण की हो ग्रेड	
			पे के लिए पात्र होने पर	
			दंत चिकित्सा विशेषज्ञ	
			संवर्ग में पद पर रिक्तता	5
			अनुसार चयन हेतु पात्र	
			होगे।	
			नोट – चयन का आधार	
			योग्यता सह वरिष्ठता	

नोट — (1) नियमों के प्रकाशन के पूर्व विभाग में पदस्थ एमबीबीएस चिकित्सक, नवीन उपबंध को शिथिल करते हुए, केवल एक बार के लिए प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी/जिला स्वास्थ्य अधिकारी/जिला चिकित्सा शिक्षा अधिकारी/जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी/जिला टीकाकरण अधिकारी के पद चयन हेतु पात्र होंगे।

(2) शिशुरोग में डिग्री/डिप्लोमा अथवा प्रीवेंटिव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री/डिप्लोमा धारण करने वाले चिकित्सा अधिकारी केवल एक बार नवीन उपबंधों को शिथिल करते हुए पूर्व में उपबंधित नियमों के

अनुसार जिला टीकाकरण अधिकारी के पद पर चयन हेतु पात्र होंगे।

(3) क्षय रोग विषय में डिग्री / डिप्लोमा धारित करने वाले चिकित्सा अधिकारी को नवीन उपबंधो को जोड़ते हुए, केवल एक बार पूर्व में उपबंधित नियमों के अनुसार अधीक्षक क्षयरोग चिकित्सालय या संचालक, क्षय रोग प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल के पद पर चयन के पात्र होंगे।

(4) अनुक्रमांक (1) से (3) पर उल्लेखित पदों पर चयन प्रक्रिया के पूर्व, चिकित्या अधिकारी से केवल दो बार विकल्प प्राप्त किया जावेगा कि वह चिकित्सा संवर्ग या लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग में से किस संवर्ग में चयन चाहता है।

PHME-0109-2024-XVII-M-1

In excercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2022, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

- (1) Throughout the rules, for the words, "Public Health and family welfare", wherever they occur, the words, "Public Health and Medical Education" shall be substituted.
- (2) In rule 11, after sub-rule (6), the following sub-rules shall be added, namely:-
 - "(7) 50 percent of the total number of contractual officers who have completed 5 years of continuous service on contractual posts equivalent to regular posts of direct recruitment in the department as mentioned in Schedule II of these rules or up to 50 percent of the vacant posts of direct recruitment in the department (whichever is less) shall be kept reserved for the appointment of contractual officers. Under these instructions, after taking the benefit of reservation facility once or after getting the appointment (joining), they shall not be eligibility for the benefit again.

- (8) The following contractual servants shall be eligible to get the benefit of contractual reservation, namely:
 - the applicant must have been appointed on (i) contractual basis for a minimum period of 5 years on contractual basis equivalent to the vacant posts of regular recruitment in the department. The equivalence of regular post with contractual post shall be determined according to the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department's Circular dated 22nd July, 2023. This period of 5 years should be completed on the date of applying against the vacant post. He shall have to produce a certificate to this effect and this certificate shall be issued by the competent authority at the District or State level, as the case may be;
 - (ii) he must fulfill the educational qualification and other relevant experience required for the regular posts under these rules;
 - (iii) if a contractual officer has worked on different contractual posts without working on the same contractual post, then on completion of the calculation of the above period of 5 years, he can apply for appointment to the regular post of that

category, according to the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department's Circular dated 22nd July, 2023, after determining the equivalence of the regular post, it shall be in the lowest category after a period of 5 years;

- (iv) if a contractual officer has been removed from the contractual service during any period and he has got appointment on contract again on the same post or on any other post, then the period of contractual service of 5 years' shall be counted from the service, after reducing the period of isolation;
- (v) an officer appointed on contract, working in any department may apply for the post advertised by the Department of Public Health and Medical Education who has equivalence and qualification for the regular post;
- (vi) in case of regular appointment, the contractual officer shall not be able to get any benefit of the previous contractual services;
- (vii) selection shall be made through a transparent and competitive process of recruitment to the regular posts reserved for the contractual

- officer, for this the minimum cutoff marks may be fixed by the appointing department;
- (viii) The contractual officer may have been appointed on one or more than one type of contractual posts. In such a situation, the number of years he has been employed on a contract equal to or higher than the regular post for which he applies for appointment, he shall be eligible for relaxation of the prescribed maximum age limit. Including all age relaxation, the maximum age of the contractual officer shall not exceed 55 years;
 - (ix) those posts reserved for appointment to equivalent regular posts for contractual officers shall be filled from other candidates in the event that sufficient number of contractual officers are finally selected or after following the prescribed transparent and competitive process to fill the posts. Then the remaining vacant posts shall not be carry forwarded which are reserved for contractual officers/employees;
 - (x) in the process of appointment against regular posts, it shall be ensured that the reservation rules of Scheduled Castes, Scheduled Tribes,

Other Backward Classes and Economically Weaker Sections are followed.".

(3) In Schedule-I, Group "A"-Medical, for serial number 5 and 7 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

Sr.	Name of Posts included in service	of	Classification	Scale of Pay	Remark
		Posts	(4)	(5)	(6)
(1) "5.	Posts equivalent to	(3) 371	Class I	Level 13 (67300	(i) 20 Posts for Directorate, 3
	Deputy Director:			206900)	posts for each
A.	Deputy Director (44) / Deputy Director (Dental Health) (8) /				Divisional Office, total 21 posts, and 1
	Chief Block Medical Officer (313) /			;	additional post for Jabalpur
	Hospital Superintendent (6)				Indore and Gwalior
1.0					Divisional Office for Court cases.
					(Total Deputy
	1				Director 44
			1		i (ii) 1 Post for
					Directorate and I post for each
				Δ.	Divisional Office
					(Total 08 posts of Deputy
					Director, Dental
					! Health)

7.	Specialist (4067) (a) Anaesthesia Specialist	467	Class-I	Level - 13 (1) In case of no (67300 departmental 206900) enquiry and legal
	(b) ENT Specialist	96		Junior case and on the recommendation Scale of the Screening (100%) Committee
****	(c) Medical Specialist	724	do	/Selection Committee, after Level - 14 completing b
	(d) Obstetrics and Gynaecology Specialist	708		211700) Junior Grade Senior Scale Senior Grade Grade Scale and Scale Selection Grade (100 % Scale, a
3.8	(e) Eye Specialist	155		after candidate shall completing be eligible for 6 year senior grade
90	(I) Orthopaedic Specialist	241	do-	service in scale, selection Junior grade scale and Grade senior selection
-	(g) Pacdiatric Specialist	624		Scale) grade scale respectively but there shall be no
10:	(h) Pathologist	147		Level 15 change in their (123100 duties in senior 215900) grade scale.
- 1	(i) Radiologist (j) Surgery Specialist	109 730	-do-	Selection selection grade Grade scale and senior Scale selection grade (100% scale and they
	(k) Tuberculosis and Chest Specialist	61		after shall continue to completing perform emergency duties
	(I) Psychiatrist (m) Dermatologist	4 1		service in — as well. Senior
				Grade (2) Fosts en Scale) Regional Director are also included in sanctioned Level - 16 posts of Schio
				(129700 Selection Grade, 214300)

Senior
Selection
Grade
Scale (5
% of total
post after
completing
6 years of
service in
Selection
Grade
Scale)

In case of no (3)departmental enquiry and legal case and on the recommendation of the Screening Committee Selection Committee. Medical officer who have been sanctioned time pay scale / four tier pay scale shall be entitled for the post of and Specialist grade scnior selection scale, grade scale and selection scrio grade scale of specialist as well. Under the

four level pay after scale, of sanction junior grade pay scale, senior grade pay scale, sclection grade scale and senior grade selection scale respectively specialists shall be addressed by following the designations, namely:-

(a) Junior Grade Pay Scale Specialist

(b) Senior Grade Pay Scale - Senier Specialist

1		(c) Senior Grade Pay Scale
	l.	Consultant Specialist
	- 1	(d) Super Senior Grade Pay Scale Chief Consultant
		Specialist

(4) In Schedule-II, Group A- Medical,-

(a) for the heading "Classification, Pay Scale, Number of Posts Included in Service", the following heading "Method of Recruitment" shall be substituted;

(b) for the serial numbers 5 and 7 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

Sr. No.	Name of Post	Name of Service	Total Numb er of Duty Post	shown which Direct	ntage of point column will be filled Recruitmention / Select Promotion (see rule 6(1)(b))	no. 4 ed by ent /	Remark
745	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	. (7)	(8)
(1) "5.	Posts equivalent to	Madhya	371			100 %	
J.	Deputy Director:	Pradesh	Î				
	Deputy Director (44) /	Public	d				
	Deputy Director	Health and Medical	q.	!			
	(Dental Health) (8) / Chief Block Medical	Education		1			
į	Officer (313) /	(Gazetted)		i			
	Hospital	Services.	į	ì			
	Superintendent (6)	Class-I	ĺ.	J	P		9
7.	Specialist (4067)	£ 2	1 46.57	1 25 %	di .	75 %	al .
/*****	(a)Anaesthesia	Madhya	467	20 70			v
	Specialist	Pradesh	Į.				8


	Public Health and Medical Education (Gazetted) Services- Class-I		4.2		75 %
(b) ENT Specialist	-do-	96	25 %		
(c) Medical Specialist	-do-	724	25 %		75 %
(d) Obstetrics and Gynaecology Specialist	-do-	708	25 %	22	75 %
(c) Eye Specialist	-do-	155	25 %	2	75 %
(f) Orthopaedic Specialist	-do-	241	25 %	N	75 %
(g) Pacdiatric	-do-	624	25 %		75 %
Specialist (h) Pathologist (i) Radiologist (j) Surgery Specialist	-do- -do-	147 109 730	25 % 25 % 25 %		75 % 75 % 75 %
(k) Tuberculosis and Chest Specialist	d -do-	61	25 %		75 %
(l) Psychiatrist (m) Dermatologist	-do-	4 1 1	25 %	2	75 % 100 %

after Schedule-II, 'Group A-Medical', the following Note (c) shall be added at the end, namely:

"Note.- In case new additional posts of Dermatologist are approved in future, 25 percent shall be filled through direct recruitment and 75 percent shall be filled through selection."

(5) In Schedule-III, Group A Medical, for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

S. No.	Name of Post	Minimum Age limit	Maxi- mum Age	Prescribed Re Education Qualification	emarks
		8 100	limit	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	.(.1)	¥	28
(1)	Specialist (a) Anaesthesia Specialist (b) ENT Specialist (c) Medical Specialist (d) Obstetrics and Gynaecology Specialist (e) Eye Specialist (f) Orthopaedic Specialist (g) Paediatric Specialist (h) Pathologist (i) Radiologist (j) Surgery Specialist (k) Tuberculosis and Chest Specialist (l) Psychiatrist (m) Dermatologist	21 years	40 years	(1) Diploma / CPS Diploma in respective specialization or equivalent qualification recognised by the Medical Council of India. or Post Graduate Degree in respective specialization recognised by the Medical Council of India. or Super Speciality Degree / Diploma in respective specialization recognised by the Medical Council of India. or Super Speciality Degree / Diploma in respective specialization recognised by the Medical Council of India.	
		- 1		1.	2



(2) Registration in Madhya Pradesh Medical Council is compulsory.

(6) For Schedule-IV (A), Group 'A' Medical, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE-IV (A)

(see rule 14)

Service Experience for Selection and Member of Selection Committee Group 'A' Medical

S. No.	Name of post from which selection is to be made	Name of post on which selection is to be made	Essential qualification, if any, and other experience of the post from which selection is to be made	Members of the Selection Committee
(1)	Additional Director (Directorate)/Regional Director, Health Services/Director State Blood Transfusion Council/Additional Director, State Aids Control Society/Director, State Health and Information. Education and Communication Burcau	Director (Directorate)/Director, State Institute of Health Management and Communication Gwalior/Principal, Regional, Public Health and Medical Education Training Center Note:- Out of total 9 posts, 2 posts shall be filled by person working on post as specified in column (2) of S.No. 1, after selection from Civil	3 years Note. Basis of selection shall be merit curn seniority	(5) 1. Chief Secretary Chairman 2. A senior Additional Chief Secretary/ Principal Secretary of Government nominated by the Chief Secretary Member 3. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Principal Secretary/Secretary Public Health and Medical Education Department- Member

3	martin ser a la l	Surgeon-cum-Chief			4. Additional
Î		Superintendent,			Secretary/Deputy Secretary, Public
1		District Hospital.		ii ii	Health and Medica
1				7	Education
1				ij	Department-
1	1				Member
					Additional Chief
2.	Senior Joint Director	Additional Director	4 years		Secretary / Principal
2.	/ Chief Medical and	(Directorate) /	Note. Basis		Secretary / Printegral Secretary / Secretary
	health Officer / Civil	Regional Director,	selection sha		Public Health and
		Health Service/	merit cum		Medical Education
	Superintendent.	Director State Blood	seniority		
	District Hospital.	Transfusion Council /	1		Department
	District Prospitati	Additional Director,			Chairman
		State Aids Control			2. Health Commissioner - Member
		Society / Director,		- 1	
		State Health and		9	3. Director (Gazatted)
		Information,	:		Member
	1	Education and			4. Additional Director
		Communication		3	(Finance) / Financial
		Burcau			Advisor, Public Health
		Note: Out of total 13	:		and Medical Education
		posts, 3 posts shall be		l.	Department
		filled by officers,			Member
		working on Civil			Additional Director
		Surgeon- cum-Chief			(Administration /
	1	Supritendent, District		40	Gazatted)/ Senior Joint
		Hospital.		1	Director, Public Health
					and Medical Education
				:	Department
	1) : :		v.	_	Member Secretary 6. A member of
				i	Scheduled Castes /
			9		Scheduled Tribes
			1		nominated by the
					Chairman
		1			Member.
0	(1) Joint Director	Senior Joint Director	(1) 6 years		-do-
3,	(Dental Health) /	Chief Medical and	1 : (2) For spe	ecialist	
	Superintendent	health	who	have	_
	Tuberculosis Hospital		worked	in	
	Director	Note 25 percent from	n Grade		
	Tuberculosis	the selection of	f! 7600/	for 6	
	Damanatration	persons recruited on			
	Demonstration and	the post of specialist			
	Training Centre,	The post of openion	· ·		

1 1	Bhopal / District	the remaining 75	(3) Medical	
- 13	Joelth Officer	percent from the	Officers must	
T	Pistriot Public Health	selection of persons	possess the	
	Medical	recruited on the posts	following,	
	Officer/	of serial numbers (1)	namely:-	
	District Health and	and (3) in column (2)	(a) worked in	
	Diderior	of serial number 3.	Grade	
	Epideine Comme	Of Gerial Forest	7600/ for 6	
- 1	Officer / District		years	
Y	Immunization Officer		(b) 3 years	
1			service after	; i
	(2) Specialist		MD (Preventive	
1	(a) Anaesthesia		and Social	1
1	Specialist;		Medicine).	
- 4	(b) ENT Specialist;		(c) 2 years of	
	(c) Medical Specialist;			
1	(d) Obstetrics and		work	
	Gynaecology		experience on	1
	Specialist;		the post of	
	(c) Eye Specialist;		Deputy	i i
1	(f) Orthopaedic		Director /	di .
1			Chief Block	
i	Specialist;		Medical Officer	
İ	(g) Paediatric		or posts as	8
	Specialist;		mentioned in	1
	(h) Pathologist;		scrial number	
- 1	(i) Radiologist;		(1), in column	
	(j) Surgery Specialist;		number (2)	
	(k) Tuberculosis and		against serial	
	Chest Specialist;		number 3.	
	(l) Psychiatrist;		Note. Basis of	A
	(m) Dermatologist;		selection shall	1
	(n) Dental Specialist;			
	(11)		be merit-curn	
	(3) Medical Officer		seniority	
	(3) Medical Cilion	-	-	8
		A.		ط.م
	District on the second	Joint Director (Denta	al 6 years	-do-
4.	Deputy Director	Health)	Molc Dasis	
	(Dental Health)	licarcij	selection sha	.11 :
			be merit eun	1-
	1		seniority	4
		-		187
		de w	6 years	do-
5.	Tuberculosis and	Superintendent		of:
·/·	Chest Specialist	Tuberculosis Hospit		
	Olloot opposition	/ Directi	or selection sha	211
	1	Tuberculosis		10
	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	(N) 21		

· 1.

		Demonstration and		
		Training Centre,	seniority	
		Bhopal		1
6.	Deputy Director /	District Health Officer		-do-
	Chief Block Medical	/ District Public	Note Basis of	
	Officer / Hospital	Health and Medical	' selection shall	
	Superintendent	Education Officer /	be merit-cum-	
		District Health and	seniority	
		Epedamic Control		
		Officer		
7	Deputy Director /	District Immunization	(1) 6 years	-do-
7.	Chief Block Medical	Officer	(2) Post Graduate	
		Officer	Degree in	
	Officer / Hospital		Preventive and	
	Superintendent /		Social	
	Pacdiatric Specialist		Medicine is	
			mandatory for	
			Deputy	
			Director and	
			Chief Block	
			Medical	
	20		Officer.	
		l e	Note Basis of	
			selection shall	
			be merit cum-	
		7- 7- 20 2	seniority	
8.	Dental Surgeon	Deputy Director	(1) 6 years	-do-
O ₉₀	Derital Sargoon	(Dental Health)	(2) Degree / :	
		()	Diploma in	
			Public Health	
			subject or	
			Preventive and	
			Social	
			Medicine from	
			a Government	
		Ž.	Institution or	
	1			
	1			
	1		recognized	
		1	University (3	
		1	years after	
		1	degree and 5	
			years of	
		1	service after	
			Diploma)	
	1 4	72.		

~			Note Basis of selection shall be merit-cum-seniority	
9.	Medical Officer	Deputy Director / Chief Block Medical Officer	(1) 6 years (2) Degree / Diploma in Public	=-do-
		Onicei	Health subject or Preventive and Social Medicine	
			from a Government Institution or Irom a recognized	
			University (3 years after degree and 5 years of service after	
			Diploma). Note. (a) 6 years of service in	
			Grade Pay of Rs. 5400 is mandatory for	
		a)	the post of Medical Officer (b) Basis of selection shall	
9			be ment cum- seniority	
10.	(a) Anaesthesia Specialist (b) ENT Specialist (c) Medical Specialist (d) Obstetrics and Gynaecology Specialist (c) Eye Specialist	Civil Surgeon- cum Chief Supritendent District Hospital.	o years of service in 7600/ Grade Pay as specialist Note Basis of selection shall be merit-cum- seniority	do
	(f) Orthopaedic Specialist (g) Paediatric Specialist			

12. Dental Surgeon Dental Specialist Such dental -do-surgeons who possess a Post		(h) Pathologist (i) Radiologist (j) Surgery Specialist (k) Tuberculosis and Chest Specialist (l) Psychiatrist (m) Dermatologist (n) Dental Specialist Medical Officer	(a) Anaesthesia Specialist (b) ENT Specialist (c) Medical Specialist (d) Obstetrics and Gynaecology Specialist (e) Eye Specialist (f) Orthopaedic Specialist (g) Paediatric Specialist (h) Pathologist (i) Radiologist (j) Surgery Specialist (k) Tuberculosis and Chest Specialist (l) Psychiatrist (m) Dermatologist	Such doctors who possess Post Graduate Degree / Post Graduate Diploma and have obtained minimum senior grade pay scale or such doctors who have completed 2 years regular service on the post of doctor after Post Graduate Degree or 3 years after Post Graduate Diploma shall be eligible for upgraded Pay Scale PB-3 (15600 39100) + 6600 and shall be eligible for selection as per vacancy in specialist cadre by being eligible for Grade Pay. Note Basis of selection shall be merit cumseniority	-do-
	12.	Dental Surgeon	Dental Specialist	Such dental surgeons who	-do*

Graduate Degree have and obtained minimum senior grade scale or derital such who surgeons have completed 2 years of regular service on the post of dental after surgeon Master's Degree, in the upgraded pay scale (15600-39100) + 6600shall be eligible for selection as per the vacancy on the post of Dental Specialist cadre by being eligible for Grade Pay. Note.- Basis of selection shall merit-cumseniority

Note-(1) Before the publication of the rules, MBBS Doctors posted in the department, shall be eligible for selection to the post of Chief Block Medical Officer/District Health Officer/District Medical Education Officer/District Health and Epidemic Control Officer/District Immunization Officer for one time only, relaxing the new provision.

(2) Medical Officers having degree/diploma in pediatries or Degree/Diploma in Preventive and Social Medicine shall be eligible for selection to the post of District Immunization Officer as per the rules provided earlier, for one time only,

relaxing the new provision.

(3) By adding new provisions to the Medical Officer having Degree/Diploma in the subject of Tuberculosis only one time shall be eligible for selection to the post of Superintendent

Tuberculosis Hospital or Director Tuberculosis Demonstration and Training Center, Bhopal as per the rules

provided earlier.

(4) Before the selection process on the posts mentioned at serial number (1) to (3) option shall be obtained from the Medical Officer for only two times as to which cadre he wants to be selected, in the medical cadre or in the Public Health Management cadre.».

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरभि गुप्ता, सचिव.